

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक सं०- एस०पी०एम०यू०/ब्लड सर्विसेज /हीमो०/2017-18/10101

दिनांक 29-12-17

विषय : आर०ओ०पी० 2017-18 के अन्तर्गत एफ०एम०आर० मद सं० बी० 14.3 पर के०जी०एम०यू०, लखनऊ में हीमोफिलिया केयर सेन्टर के मानव संसाधन के मानदेय हेतु द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य कार्य योजना वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा एफ०एम०आर० मद सं० बी० 14.3 पर के०जी०एम०यू०, लखनऊ में हीमोफिलिया केयर सेन्टर में पूर्व से कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय एवं सेवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम किस्त के रूप में 04 माह (अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 तक) के मानदेय हेतु रू० 3.78 लाख पत्रांक एस०पी०एम०यू०/ब्लड सर्विसेज/हीमो०/2017-18/6433-7 दिनांक-22.09.2017 के माध्यम से अवमुक्त की जा चुकी है।

तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष 08 माह (अगस्त 2017 से मार्च 2018 तक) हेतु के०जी०एम०यू०, लखनऊ में हीमोफिलिया केयर सेन्टर में पूर्व से कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय एवं सेवाओं के लिए द्वितीय किस्त के रूप में निम्नलिखित तालिका के अनुसार धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से अवमुक्त की जा रही है- **Payment Advice - C-121711307094**

क्रम सं०	पदनाम	स्वीकृत मानदेय रू० प्रतिमाह	शेष 08 माह हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रू०)
1	जूनियर रेजीडेंट	41900.00	335200.00
2	फिजियोथेरेपिस्ट	20000.00	160000.00
3	काउन्सलर	12000.00	96000.00
4	कम्प्यूटर आपरेटर	Lumsum (रू० 246000 एकमुस्त)	164000.00
5	अटेन्डेंट		
कुल योग			755200.00

- उपर्युक्त के क्रम में रू० 7.55 लाख की धनराशि के०जी०एम०यू०, लखनऊ को स्थानान्तरित करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति, लखनऊ के खाते में अवमुक्त की जा रही है।
- अवमुक्त धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते से के०जी०एम०यू०, लखनऊ को प्राथमिकता के आधार पर स्थानान्तरित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- आपके स्तर से अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्रांक सं०- एस०पी०एम०यू०/ब्लड सर्विसेज / हीमो०/2017-18/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ, उ०प्र०।
4. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेन्ट ऑफ क्लीनिकल हीमैटोलोजी एण्ड मेडिकल ओन्कोलोजी, कें०जी०एम०यू०, लखनऊ को इस आशय से कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सूचना इस कार्यालय एवं जिला स्वास्थ्य समिति, लखनऊ को नियमित रूप से प्रेषित किया जाये।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का अनुश्रवण करते हुये प्राथमिकता के आधार पर कें०जी०एम०यू०, लखनऊ को स्थानान्तरित कराना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(डा० ए० बी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक सं०- एस०पी०एम०यू०/ब्लड सर्विसेज /हीमो०/2017-18/

दिनांक 29-12-17

विषय : आर०ओ०पी० 2017-18 के अन्तर्गत एफ०एम०आर० मद सं० बी० 14.3 पर के०जी०एम०यू०, लखनऊ में हीमोफिलिया केयर सेन्टर के मानव संसाधन के मानदेय हेतु द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य कार्य योजना वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा एफ०एम०आर० मद सं० बी० 14.3 पर के०जी०एम०यू०, लखनऊ में हीमोफिलिया केयर सेन्टर में पूर्व से कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय एवं सेवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम किस्त के रूप में 04 माह (अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 तक) के मानदेय हेतु रू० 3.78 लाख पत्रांक एस०पी०एम०यू०/ब्लड सर्विसेज/हीमो०/2017-18/6433-7 दिनांक-22.09.2017 के माध्यम से अवमुक्त की जा चुकी है।

तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष 08 माह (अगस्त 2017 से मार्च 2018 तक) हेतु के०जी०एम०यू०, लखनऊ में हीमोफिलिया केयर सेन्टर में पूर्व से कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय एवं सेवाओं के लिए द्वितीय किस्त के रूप में निम्नलिखित तालिका के अनुसार धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से अवमुक्त की जा रही है- **Payment Advice No - C-121711307094**

क्रम सं०	पदनाम	स्वीकृत मानदेय रू० प्रतिमाह	शेष 08 माह हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रू०)
1	जूनियर रेजीडेंट	41900.00	335200.00
2	फिजियोथेरेपिस्ट	20000.00	160000.00
3	काउन्सलर	12000.00	96000.00
4	कम्प्यूटर आपरेटर	Lumsum (रू० 246000 एकमुस्त)	164000.00
5	अटेन्डेंट		
कुल योग			755200.00

- उपर्युक्त के क्रम में रू० 7.55 लाख की धनराशि के०जी०एम०यू०, लखनऊ को स्थानान्तरित करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति, लखनऊ के खाते में अवमुक्त की जा रही है।
- अवमुक्त धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते से के०जी०एम०यू०, लखनऊ को प्राथमिकता के आधार पर स्थानान्तरित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- आपके स्तर से अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्रांक सं०- एस०पी०एम०यू०/ब्लड सर्विसेज / हीमो०/2017-18/10101-6

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ, उ०प्र०।
4. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेन्ट ऑफ क्लीनिकल हीमेटोलोजी एण्ड मेडिकल ओन्कोलोजी, के०जी०एम०यू०, लखनऊ को इस आशय से कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सूचना इस कार्यालय एवं जिला स्वास्थ्य समिति, लखनऊ को नियमित रूप से प्रेषित किया जाये।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का अनुश्रवण करते हुये प्राथमिकता के आधार पर के०जी०एम०यू०, लखनऊ को स्थानान्तरित कराना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(डा० ए० बी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०